न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/128/2016 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 18.07.2016

उनवान

1. भगवान लाल पिता भुरा जाति राव निवासी बेणीपुरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्द पिता भगवान दास जाति बैरागी निवासी बेणीपुरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

निर्णय दिनांकः 22.01.2019

–:निर्णयः–

webcopy - Not official

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अप्तर्गत धारा 251 'क' इस आशय से प्रस्तुत किया की प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा वेणीपुरिया पटवार हल्का हिगोंरिया तहसील कपासन की आराजी संख्या 281 रकबा 0.43 है0 आ न0 282 रकबा 0.01 है0 आ0न0 283 रकबा 0.16 है0 आ0 न0 289 रकबा 0.11 आ0 न0 290 रकबा 0.42 है0 आ0 न0 291 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.51 हे0 स्थित है।

यह है कि उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एवं बैलगाडी भरी खाली टेक्टर ट्रोली, अप्रार्थी की अराजी न0 284 व 289 में होकर आम रास्ता उतर से दक्षिण दिशा में स्थित है और उतरी दिशा से पूर्व से पश्चिम दिशा की पाली पर होकर आते जाते है। उक्त दोनो आराजी की उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम दिशा में रास्ता है जो अप्रार्थी नही आने जाने देता है सो उक्त मौजा वेणीपुरियां की आ0 न0 284 व 289 रास्ता दिलाया जावे इस बाबत प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु तैयार है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया अप्रार्थी की ओर से वकील डालचन्द्र जाट ने अधिकार पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 06.02.2018 को जवाब बन्द किया गया व दिनांक 15.01.2019 को पत्रावली में सीधे हि बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट भू0उ0 नि0 के अनुसार आ0 स0 281, 282, 283, 288, 290, 291 में जाने के लिए मौका व रेकार्ड देखने से जाहिर आया कि ग्राम वेणीपुरियां की आराजी न0 284 की उतरी मेड से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है यह रास्ता आराजी स0 285 मे से भी होकर निकलता है जिसका उपयोग कर प्रार्थी आराजी न0 स0

Scanned by CamScanner

282, 283, 288, 290, 291 में प्रवेश करता है जो अप्रार्थी 1 व मांगीलाल पिता प्यारा सुथार के नाम दर्ज है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है। वकील प्रार्थी ने उक्त के विरूध भी रास्ता दौराने बहस चाहा है जो स्वीकार किया जाता है।

जो कि नक्शे में लाल स्याही से दर्शा रखी है। साथ ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि मौजा वेणीपुरिया पटवार हल्का हिगोंरिया तहसील कपासन की आ0 स0 284 में से लम्बाई 50 मी0 के समान्तर 4 मी0 चौडाई जिसका क्षेत्रफल 50*4 मी0 200 व0 मी0 एवं आ0 स0 285 में से लम्बाई 8 मी0 के समान्तर 4 मी0 चौडाई जिसका क्षेत्रफल 8*4 मी0 32 व0 मी0 जो कि प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार चिन्हित लालस्याही के रेखाकित भाग को हाल नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम हेतु अविलम्ब तरमीम करते हुए उक्त रास्ते के भू–भाग को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार कपासन को आदेशित किया जाता है।

साथ हि रिपोर्ट आईएलआर अनुसार उक्त भूमि संचित होने से डीएलसी अनुसार एक एयर की राशि 4140 बनती है कुल 2.5 एयर के 10350रू जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 20700 रू0 देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 16560 व मांगीलाल पिता प्यारा सुथार के नाम 4140 का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी का अप्रार्थी संख्या 1 व मांगीलाल पिता प्यारा सुथार को रकम की अदायगी हेतु 15 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्त के पश्चात अर्थात 15 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये अवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

(महावीर प्रसाद नायक)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी क्पासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner